CNR No. UPME010089332026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार –I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–3118/2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2521/2026

मोन्टू सैनी पुत्र स्व० मदन सैनी निवासी अशोक नगर, पंडित वाली गली, पिलखुवा, थाना पिलखुवा, जिला मेरठ। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–341/2025
अन्तर्गत धारा–61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बी०एन०एस०
थाना–मैडिकल, जिला मेरठ।

दिनांक 30.06.2026

1. प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त मोन्टू सैनी पुत्र स्व० मदन सैनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–341/2025, अन्तर्गत धारा–61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बी०एन०एस०, थाना– मैडिकल, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार के रूप में उर्मिला देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2025 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद–मेरठ। विषय– आस्तित्वहीन फर्म m/s विष्णू इन्टरप्राइजेज द्वारा किये गये GST फ्राड में FIR दर्ज करने के सन्दर्भ में। विनय प्रताप s/o श्री राम करन निवासी 184 टोला बालक नगर पोस्ट– वरातगाढा आनन्द नगर फरेन्दा महारागंज– 273155 द्वारा अपने पैन सं0–BSHPP8540E पर अन्य आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर GST Portal पर m/s विष्णू इन्टर प्राइजेज के नाम से GSTN–09BHSPP8540E1ZG पता–269/1 औरंगशाहपुर डिग्गी मेरठ–250004 पंजियन प्राप्त कर लिया है। राज्य कर अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर फर्म आस्तित्वहीन पायी गयी। फर्म द्वारा मिली भगत कर अन्य फर्मों को इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई करते हुए वोगस ITC का लाभ लिया और दिया गया है। व्यापारी द्वारा किये गये GST फ्राड तथा बिना वास्तविक खरीद विक्री किये वोगस ITC पासऑन करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओ में FIR दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसे उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया उपरोक्त अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह नामजद नहीं है ,

उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये सभी अपराध झूठे व निराधार तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर विद्वान न्यायालय द्वारा खण्डित हो चुका है। आदेश की मूल कापी जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त वाद में थाना हाजा की पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना झूठी निराधार व मनघडन्त तथ्यों पर आधारित है। उक्त घटना के तथ्य के गवाह एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य तथा स्वतंत्र साक्षी के ब्यानों में घोर विरोधाभासी है जिससे तथाकथित घटना झूठे निराधार एवं मनघडन्त तथ्यों पर आधारित होती है। वह जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध है, उसके द्वारा किसी साक्ष्य को तोडे जाने का कोई अन्देशा नहीं है। वह एक सच्चे, सदाचारी, सामाजिक एवं प्रतिष्ठित परिवार से सम्बन्धित है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत होने की दशा में न्यायालय की प्रदत्त सभी शर्तों का पालन करेगा, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भागने का प्रयास नहीं करेगा व जमानत होने की दशा में वाद को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर हाजिर अदालत उपस्थित होगा। वह न्यायालय की संतुष्टि के लिए उचित जमानत देने के लिए तैयार है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी के अनुसार वादी/मुकदमा राकेश कुमार कन्नौजिया सहायक आयुक्त राज्यकर खण्ड, मेरठ द्वारा एक प्राथमिकी दिनांक 27.08.2025 को इस आधार पर दर्ज करायी गयी कि विनय प्रताप द्वारा अपने पैन कार्ड व आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर जी.एस.टी. पोर्टल पर m/s विष्णू इण्टरप्राइजेज के नाम से जी.एस.टी फर्म का पंजीयन प्राप्त कर लिया है व राज्यकर अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर फर्म अस्तित्वहीन पायी गयी। अतः अभियुक्त द्वारा जी.एस.टी. फ्रॉड व बिना वास्तविक खरीद बिक्री किये वोगस आई.टी.सी पासऑन करने का मामला बताया है। दौराने विवेचना प्राथमिकी में नामित अभियुक्त विनय प्रताप सिंह के द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में यह कथन किया कि वह पिछले ढाई साल से शेरपुर लुधियाना, पंजाब में किसी कंपन्नी में काम करता है, बीच में 6 महीने बाद महाराजगंज स्थित अपने घर घूम आता है। रोजगार की तलाश में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब व हरियाणा की कंपन्नियों में काम करने के लिए बहुत से लोगों ने उससे पैनकार्ड, आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र ले रखे हैं। m/s विष्णू इण्टरप्राइजेज के बारे में उसके द्वारा कोई जानकारी होनी नहीं बतायी व कहा कि किसी ने उसके डोक्यूमैंट्स धोखाधड़ी करके जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा कभी किसी व्यक्ति के साथ फर्म खोलने के लिए रेन्ट एग्रीमेन्ट किया है, न ही कोई जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन लिया है। गवाह निर्मल सिंह द्वारा भी संबंधित विवेचक को यह बयान दिये कि उसके द्वारा कभी भी अपने मकान पर कोई जी.एस.टी फर्म खोलने के लिए Permission दी है ना ही कभी मकान किसी को रेन्ट पर दिया है। रेन्ट एग्रीमेन्ट पर इस गवाह द्वारा अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है व कहा कि उसके मकान पर फर्जी रेन्ट एग्रीमेन्ट बनवाकर किसी ने जी.एस.टी. फर्म का रजिस्ट्रेशन ले लिया है। विवेचना के क्रम में दिनांक 04.06.2026 को अभियुक्तगण मोन्टू सैनी व नौशाद मलिक को संबंधित विवेचक द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिस पर दोनों अभियुक्तगण द्वारा यह जुर्म इकबालिया बयान दिया गया कि विष्णू इण्टरप्राइजेज उनके द्वारा अपने मालिक सलीम के कहने पर फर्जी फर्म बनायी थी व इसके अलावा अन्य फर्म भी बनायी है। मालिक सलीम उन्हें फर्म बनाने के लिए पैनकार्ड व आधार कार्ड उपलब्ध कराता है। जरूरत के हिसाब से दस्तावेजों में बदलाव कर उनके द्वारा फर्म का अलग–अलग जिलों

में रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। सलीम द्वारा ही उन्हें माल की मात्रा/वजन और एच०एस०एन० कोड और फर्म का नाम बताया जाता है कि किस–किस फर्म के नाम पर कितने बिल काटने हैं, उसी के अनुसार अभियुक्तगण फर्मों के नाम पर बिल और ई वे बिल बनाते हैं। पकड़े गये दोनों अभियुक्तगण द्वारा अपने साथी विशाल सैनी के लेपटॉप से जीएसटी व ई वे बिल बनाये जाने का तथ्य भी स्वीकार किया। सहअभियुक्त विशाल सैनी को गिरफ्तार करने पर उसके पास से बरामद लेपटॉप को चैक किया गया तो उक्त लेपटॉप में अलग–अलग फर्मों के अलग–अलग मात्रा के बहुत से जीएसटी बिल के विवरण अंकित हैं व प्रश्नगत फर्म विष्णू इण्टरप्राइजेज का एक ब्लैंक कैंसेल चैक भी मिला जिसके आधार पर प्रश्नगत फर्म विष्णू इण्टरप्राइजेज के क्रिएशन व बिलिंग का कार्य अभियुक्तगण द्वारा किया जाना कहा गया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर फर्जी व कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर वोगस फर्म का रजिस्ट्रेशन कर टैक्स चोरी की गयी है, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई है। मामला गम्भीर प्रकृति का है।

उपरोक्त मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय के विचार से आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का दर्शित होता है एवं आवेदक/अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदानुसार गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मोन्टू सैनी पुत्र स्व० मदन सैनी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–341/2025, धारा–61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बी०एन०एस०, थाना–मैडिकल, जिला मेरठ के प्रकरण में नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2521/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 30.06.2026

(अजय कुमार –I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
(V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.30 17:24:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut